क्रम-संख्या–179(क-1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0-डब्लू/एन0पी0–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 14 सितम्बर, 2021

भाद्रपद 23, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग–4

———

संख्या 3/2021/1076/तीस-4–2021

लखनऊ, 14 सितम्बर, 2021

———

अधिसूचना

प0आ0–326

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 114 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सिविल मिस0 रिट याचिका संख्या 4855/2020 (ट्रक आपरेटर एसोसिएशन द्वारा अध्यक्ष राजेश रूपानी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य) दिनांक 23 जून, 2021 को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में, राज्यपाल, समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों अथवा मोटरयान विभाग के उच्चतर अधिकारियों, ड्यूटी पर उपस्थित पुलिस निरीक्षक अथवा पुलिस विभाग के उच्चतर अधिकारियों तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (युपीडा), उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण (उपशा) एवं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के पदाभिहित व्यक्तियों को इस हेतु प्राधिकृत करती हैं कि यदि उनके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी माल यान या ट्रेलर का उपयोग पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 113 का उल्लघंन करके किया जा रहा है, तो वह वाहन चालक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह यान को तोलन के लिए किसी तोलनयंत्र यदि कोई हो पर ले जाए जो किसी स्थान से आगे के मार्ग पर दस किलोमीटर की दूरी के अन्दर या यान के गन्तब्य स्थान से बीस किलोमीटर की दूरी के अंदर हो, और यदि ऐसे तोलन पर यह पाया जाता है कि उस यान ने भार से संबंधित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 113 के उपबन्धों का किसी प्रकार उल्लघंन किया है तो वह वाहन चालक को लिखित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि वह अधिक भार को अपनी जोखिम पर उतार दे और यान या

ट्रेलर को उस स्थान से तब तक न हटाए, जब तक लदान सहित भार कम नही कर दिया जाता या यान अथवा ट्रेलर की बाबत अन्यथा ऐसी कार्यवाही नहीं कर दी जाती जिससे वह पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 113 का अनुपालन करे और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर वाहन चालक ऐसे निर्देशों का पालन करेगा।

प्राधिकृत व्यक्ति जिसनें पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 114 की उपधारा (1) के अधीन लिखित रूप में आदेश किया हो वही माल यान परमिट पर अधिक लदान से सुसंगत ब्योरे भी पृष्ठांकित करेगा और ऐसे पृष्ठांकन के तथ्य से उस प्राधिकारी को भी अवगत करायेगा जिसने यह परमिट स्वीकृत किया हो।

यह अधिसूचना गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,
राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3/2021/1076/XXX-4–2021, dated September 14, 2021 :

No. 3/2021/1076/XXX-4–2021

Dated Lucknow, September 14, 2021

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 114 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) and in pursuance of the order dated June 23, 2021 passed by the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad in Civil Misc. *Writ* Petition No. 4855/2020 (Truck Operator Association through its President Rajesh Rupani and others *versus* State of Uttar Pradesh and others), the Governor is pleased to authorize all Assistant Regional Transport Officers or higher officers of the Motor Vehicles Department. Police Inspector or higher officers of police Department on duty and designated persons of National Highways Authority of India (NHAI), Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA), Uttar Pradesh State Highways Authority (UPSHA) and Yamuna Expressways Industrial Development Authority (YEIDA), if he has reason to believe that a goods vehicle or trailer is being used in contravention of Section 113 of the aforesaid Act, to require the driver to convey the vehicle for weighment to any weighing device, if any, which is within a distance of ten kilometers from any point on the forward route or within a distance of twenty kilometers from the point of destination of the vehicle and if on such weighment it is found that the vehicle has, in any way, contravened the provisions of section 113 of the aforesaid Act regarding weight, he may, by order in writing, direct the driver to off-load the excess weight at his own risk and not to remove the vehicle or the trailer from the place until the laden weight has been reduced or the vehicle or the trailer has otherwise been dealt with so that it complies with section 113 of the aforesaid Act and on receipt of such notice, the driver shall comply with such directions.

The authorized person who makes the order in writing under sub-section (1) of section 114 of the aforesaid Act, shall also endorse the details of the overloading on the goods carriage permit, and also intimate the fact of such endorsement to the authority which issued that the permit.

This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the *Gazette*.

By order,
RAJESH KUMAR SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 308 राजपत्र–2021–(657)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सा0 परिवहन–2021–(658)–200 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।